न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा
मु.नं. 64/2024

1.उर्मिला पत्नि दयाराम समस्त जाति गुर्जर
2.कमलेश देवी पत्नि मुकेशसिंह निवासी गहनोली
3.कौशल्या देवी पत्नि कजोडी राम तहसील महवा

– प्रार्थिया

बनाम

1.उगन्ती पत्नि नादान
2.सुनीता पत्नि रामेश्वर
3.मुकदम पत्नि रमेश
4.राजाराम पुत्र दुर्गाप्रसाद
5.हरचरण पुत्र दुर्गाप्रसाद
} समस्त जाति गुर्जर नि.खेडलीनारायण सिंह तह.महवा

6.सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार,महवा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज.भूराजस्व

निर्णय दिनांकः 19.07.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेडली नारायणसिंह तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 268, 270, 271, 272, 448/269, 449/269, 451/269, 452/269, 453/381, 460/380, 462/385 कुल किता 11 कुल रकबा 4.15 हैक्टर प्रार्थियान काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी के सटवा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 की आराजी है जिसमें मौके पर अप्रार्थीगण ने सीमाचिन्हों को जोतकर नष्ट कर दिया है और लट्ठ के बल पर झगडा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण से कहा कि सीमाज्ञान करा लेते है किन्तु सहमत नहीं है। प्रार्थीगण ने आराजी की पैमायश भी करवा ली फिर भी अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान कराने से इन्कार कर दिया। तहसीलदार महवा द्वारा सीमाज्ञान करके निशानात लगाये थे उसी अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश फरमायें।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 की तलबी रजिस्टर्ड दिनांक 18.06.2024 से करवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आये। इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वहस के दौरान वकील प्रार्थी ने आराजी का सीमाज्ञान की पत्थरगढी किये जाना न्याय संगत बताया है क्योंकि पक्षकारों में सीमा विवाद को लेकर अनावश्यक मुक़दमा वाजी व आपसी विवाद ना हो। उक्तानुसार न्याय की दृष्टि से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज. भूराजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज. भूराजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम खेड़ली नारायणसिंह तहसील महवा की आराजी ख़सरा नम्बर 268, 270, 271, 272, 448/269,, 449/269, 451/269, 452/269, 453/381, 460/380, 462/385 कुल किता 11 कुल रकबा 4.15 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार महवा टीम गठित करें एवं टीम गठित करने से पूर्व खातेदारान को दिनांक व समय बावत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे। पर्चा मौका तैयार कर उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये जावे। उक्त आश्य की तहरीर तहसीलदार महवा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा